

सहायता/अनुदान हेतु चेक-लिस्ट
(आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें)

क्र.	संलग्न की जाने वाली जानकारी/दस्तावेज	जानकारी/दस्तावेज संलग्न किया है। (हाँ/नहीं अथवा लागू नहीं लिखें)	पृष्ठ क्रमांक (जिस पर जानकारी संलग्न की गई है।)
1.	बैंक का निर्धारित प्रपत्र में ऑथोराइजेशन लेटर		
2.	संस्था का छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम (राज्य गठन के पूर्व मध्यप्रदेश) के तहत पंजीयन प्रमाण-पत्र		
3.	विगत तीन वर्षों के आडिटेड आय-व्यय/प्राप्ति भुगतान एवं बैलेन्स शीट		
4.	विगत पांच वर्षों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रतियां		
5.	संस्था की नियमावली/विधान		
6.	छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम (राज्य गठन के पूर्व मध्यप्रदेश) अंतर्गत जारी कार्यकारिणी की नवीनतम सूची एवं धारा 27/28 की जानकारी तथा चालू वर्ष के चालान की छायाप्रति एवं संस्था की वैधता का प्रमाण		
7.	संस्था के मुख्य कार्यकलाप का विवरण (जिसमें पिछले तीन वर्षों के प्रमाणित साक्ष्य हो)		
8.	संस्था द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों का विवरण जिसके लिए अनुदान चाहा गया है।		
9.	कार्य (जिसके लिए अनुदान चाहा गया है) राशि		

टीप :- किस कार्य के लिए एवं कितना अनुदान चाहा गया है, कंडिका 9 में इसका स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य है। इसके आधार पर ही आवेदन विचारार्थ रखा जा सकेगा तथा बैंक विवरण उपलब्ध नहीं होने पर अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा। आपकी यह शर्त कि आवेदनों को प्रथम अंकेक्षण के बाद विनिष्ट कर दिया जायेगा, से मैं पूरी तरह सहमत हूँ।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम एवं मुद्रा)

संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व, छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ अशासकीय सांस्कृतिक संस्थाओं को सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत
वित्तीय सहायता अनुदान के लिए आवेदन-पत्र
वित्तीय वर्ष 2019-20

(1) संस्था/संगठन का विवरण :-

1. संस्था का नाम
2. संस्था का वर्तमान पूर्ण पता
(पिन कोड सहित).....
3. संस्था प्रमुख/प्राधिकृत पदाधिकारी.....
का नाम एवं मोबाईल नंबर
4. संस्था का अधिकृत ई-मेल
(पत्राचार हेतु अनिवार्य होगा)
5. संस्था की स्थापना का वर्ष
6. संस्था का छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (राज्य गठन के पूर्व मध्यप्रदेश का पंजीयन मान्य होगा।) के तहत पंजीयन क्रमांक/दिनांक/स्थान (जहां पंजीकृत है)
7. पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति परिशिष्ट क्रमांक
8. विधान/नियमावली की प्रति परिशिष्ट क्रमांक

(2) छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम अंतर्गत जारी कार्यकारिणी की नवीनतम सूची, धारा 27/28 की जानकारी एवं चालू वर्ष के चालान की छायाप्रति तथा संस्था की वैधता का प्रमाण परिशिष्ट क्रमांक

(3) संस्था के अंतर्गत वर्तमान पदाधिकारियों के नाम, पते एवं दूरभाष/मोबाईल नं. लिखना अनिवार्य है :-

पदनाम	नाम	पता	दूरभाष/मोबाईल नं.
संरक्षक			
अध्यक्ष/निदेशक			
उपाध्यक्ष/उप निदेशक			
कोषाध्यक्ष			
सचिव			

- (4) संस्था का PAN नं. की प्रति परिशिष्ट क्रमांक
- (5) संस्था के बैंक खाते की जानकारी एवं ऑथोराइजेशन लेटर परिशिष्ट क्रमांक
- (6) संस्था के बैंक खाते के पास बुक की प्रथम पृष्ठ परिशिष्ट क्रमांक
- (7) संस्था की विगत तीन वर्षों की वर्षवार मुख्य गतिविधियां (संक्षिप्त में) एवं समाचार पत्रों में (दिनांक एवं संस्करणों सहित) प्रकाशित कार्यक्रमों के फोटोग्राफ/सी.डी. अनिवार्यतः संलग्न करें (जिसमें पिछले तीन वर्षों के पृथक-पृथक प्रमाणित साक्ष्य हों) परिशिष्ट क्रमांक
- (8) विगत तीन वर्षों में संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व से प्राप्त सहायता अनुदान की राशियां एवं इसके उपयोग में सम्पन्न गतिविधियों के ब्यौरे (आवश्यक होने पर परिशिष्ट संलग्न करें) परिशिष्ट क्रमांक

वर्ष (1)	अनुदान राशि (2)	कार्यक्रम (3)	विधा/कलारूप (4)	व्यय की गई राशि (5)
2016-17				
				योग
2017-18				
				योग
2018-19				
				योग

- (9) संचालनालय द्वारा पिछले पांच वर्षों में स्वीकृत अनुदान राशि के उद्देश्यार्थ उपयोग का अंकेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र परिशिष्ट क्रमांक

(10) पिछले तीन वर्षों में भारत सरकार या किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान के ब्यौरे और प्रयोजन (आवश्यक होने पर परिशिष्ट संलग्न करें) परिशिष्ट क्रमांक

वर्ष	संस्था का नाम जहां से अनुदान प्राप्त हुआ	अनुदान राशि	प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)
2016-17			
2017-18			
2018-19			

(11) संस्था द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों (जिसके लिए अनुदान चाहा गया है) का ब्यौरा (अधिकतम 300 शब्दों में) एवं मदवार लागत विवरण परिशिष्ट क्रमांक

(12) चाही गई वित्तीय सहायता राशि रु.

(13) विगत तीन वर्षों के ऑडिटेड आय-व्यय, प्राप्ति भुगतान, बैलेन्स शीट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन (संलग्न करें)

1. वित्तीय वर्ष 2016-17

परिशिष्ट क्रमांक

2. वित्तीय वर्ष 2017-18

परिशिष्ट क्रमांक

3. वित्तीय वर्ष 2018-19

परिशिष्ट क्रमांक

BANK AUTHORIZATION LETTER

I/WE (Society Name)
would like to receive the sums disbursed by the Direct
orate of Culture And Archaeology,Raipur to me/us electronically to our bank account detailed below
:-

Payee's Particulars	
Name of payee as in Bank Account	
Address	
District & Pin Code	
State	
Telephone Number with STD Code	
Mobile No.	
E-mail Address (if any)	
Bank Details	
Name of the Bank	
Bank Branch (Full address & Telephone Number)	
Bank Account Number	
Account Type	
Mode of Electronic Transfer Available ECS/RTGS/NEFT	
IFSC Code	
MICR Code	
PAN Number	

Signature**
Name
Name of organization.....

Account Number and IFSC/ MICR Codes have been verified by me and are correctly recorded above.

Manager**

(Bank Branch Maintaining the Account)

(To be signed by the Manager of the Bank in the blue ink with seal)

शर्तें :-

1. आवेदन के साथ चेक-लिस्ट एवं चाहे गये समस्त अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
2. जिन संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत किया जायेगा उन्हें इस वित्तीय वर्ष में संचालनालय से पृथक से कोई सहायता/सहयोग प्रदान नहीं किया जा सकेगा।
3. प्रतिवर्ष केवल **दो बार अप्रैल से अगस्त एवं सितम्बर से दिसम्बर** तक प्राप्त आवेदनों पर ही सहायक अनुदान स्वीकृत किए जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।
4. किस कार्य के लिए कितना अनुदान चाहा गया है कंडिका 9 में इसका स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य है इसके आधार पर ही आवेदन विचारार्थ रखा जा सकेगा।
5. विभागाध्यक्ष/स्वीकृतिकर्ता के विचार उपरान्त जिन संस्थाओं को अनुदान दिया जायेगा, उनका आवेदन प्रथम अंकेक्षण/एक वर्ष एवं जिन्हें अनुदान नहीं दिया जायेगा, उनके आवेदन तीन माह में विनिष्ट कर दिये जायेंगे। इसके लिए किसी भी तरह की मांग अथवा प्रश्न नहीं किया जा सकेगा।
6. संस्थाओं को सहायता, अनुदान नियमों के निर्धारित मापदण्डों और राशि की उपलब्धता के आधार पर परीक्षणोंपरात विभागाध्यक्ष/स्वीकृतिकर्ता द्वारा अनुशंसित किया जायेगा। विभागाध्यक्ष/स्वीकृतिकर्ता की अनुशंसा पर लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, जिसके संबंध में कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।
7. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन तथा ई-भुगतान हेतु बैंक की सही एवं पूर्ण जानकारी अनिवार्य हैं, अन्यथा अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
8. आवेदन पत्र संचालक, संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर, सिविल लाईन्स, रायपुर-492001 के पते पर भेजा जाये।
9. आपकी यह शर्त कि आवेदनों को प्रथम अंकेक्षण के बाद विनिष्ट कर दिया जायेगा, से मैं पूरी तरह सहमत हूँ।

मैं सत्यतापूर्वक यह अभिकथन करता हूँ कि संस्था की उक्त समस्त जानकारी/विवरण सत्य है। संस्था को सहायता अनुदान योजना संबंधी समस्त शर्तें-नियम हमें स्वीकार हैं। हम उक्त नियमों को मानने के प्रति वचनबद्ध होकर आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम एवं मुद्रा)

// अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र //

प्रमाणित किया जाता है कि संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व, रायपुर द्वारा अपने तारीख के पत्र क्रमांक में प्रयोजन के लिए वर्ष के लिए सहायता अनुदान के रूप में स्वीकृत रूपये रूपये मात्र) की राशि का प्रयोग उपर्युक्त प्रयोजन के लिए किया गया है।

इस राशि के व्यय का विवरण संलग्न है।

दिनांक :

हस्ताक्षर

स्थान :

नाम

पदनाम

संस्था की मोहर

चार्टर्ड लेखाकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

संस्था का नाम एवं पता

.....

.....

// आश्वासन प्रमाण पत्र //

संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व, रायपुर के अनुदान के समुचित उपयोग का आश्वासन

मैं/हम संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व, रायपुर को यह आश्वासन देता हूँ/देते हैं कि संचालनालय द्वारा रूपये शब्दों में रूपये मात्र की स्वीकृत राशि का उपयोग वर्ष के लिए उसी प्रयोजन हेतु किया जाएगा, जिसके लिए उसकी मंजूरी दी गयी है अर्थात्

मैं/हम संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व, रायपुर द्वारा अपने तारीख के पत्र संख्या में इस अनुदान के लिए निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं। यदि मैंने/हमने किसी शर्त का पालन नहीं किया तो मैं/हम मांगे जाने पर पूरी राशि वापस कर दूँगा/देंगे। इस संबंध में संचालनालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

दिनांक :

हस्ताक्षर

स्थान :

नाम

पदनाम

संस्था की मोहर

संस्था का नाम एवं पता

.....

.....

(संगठन की ओर से समुचित प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाए)